सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1442/HP/1/2023-ESDW **दिनांक: 13.04.2023**

डॉ. निपुण जिंदल,
उपायुक्त,
जिला-काँगड़ा,
उपायुक्त काँगड़ा स्थित धर्मशाला,
काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176215
ई-मेल: dc-kan-hp@nic.in

विषय: जन जातिए भवन को अन्यत्र स्थानांतरित न करवाने के संबंध मे श्री मदन भरमौरी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतिए गद्दी जन जातिए विकास समिति (पंजी.), भव्य साई मार्केट, धमेता चौक, जसूर, हिमाचल प्रदेश का 24.03.2022 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री मदन भरमौरी से दिनांक 24.03.2022 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री मदन भरमौरी,**
राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
अखिल भारतिए गद्दी जन जातिए विकास समिति (पंजी.),
भव्य साई मार्केट, धमेता चौक,
जसूर, हिमाचल प्रदेश

2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**